

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
विशेष निदेशक (मा० शि०)

सेवा में,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय : पटना संत माईकल स्कूल, अशोक नगर, रोड नं०-03, कंकड़बाग, पटना को
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना
संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन
एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने
हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा पटना संत माईकल स्कूल, अशोक नगर, रोड नं०-03,
कंकड़बाग, पटना को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने
की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-


1. यह विद्यालय ए० के० अरुण और रीता सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्दाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवनिर्मित भवन में संचालित है, जहाँ 01 एकड़ भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष औद्योगिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्य करेगा। नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि


Principal

Patna St. Michael's School
Ashok Nagar, Patna-20


Chairman

A. K. Arun & Rita Singh Educational Trust
Ashok Nagar, K. Bagh, Patna

अत्यसंख्यक विकलांग बालिकाएँ तथा नामान्य श्रेणी के परिवार जिनका आय अधिकतम 80,000/- रूपया प्रतिवर्ष होंगे को रखा गया है।

- (ii) विद्यालय में नर्सरी/कें0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चे की संख्या निर्धारित होगी।
- (iii) नर्सरी/कें0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनमें से जो गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो त कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक नहीं होगी तथा इसका उल्लेख पोस्टर/बिलडिंग में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संवर्द्धन रद्द करने का कारवाई का जायेगा।

10. विभागीय पत्राक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर पटना संत माईकल स्कूल, अशोक नगर, रोड नं0-03, कंकड़बाग, पटना को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

(दशरथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापाक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को उनके पत्राक 166 दिनांक 29.01.2010 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापाक.....

दिनांक 04.02.11

प्रतिलिपि : प्राचार्य पटना संत माईकल स्कूल, अशोक नगर, रोड नं0-03, कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Principal

Chairman

Patna St. Michael's School
Ashok Nagar, Patna-20

A. K. Arun & Rita Singh Educational Trust
Ashok Nagar, K. Bagh, Patna

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा